

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2018

प्रार्थी-

सीताराम पुत्र हंसराज जाति खत्री
निवासी पादरू का वास, सिवाना
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच
2. कंचन कंवर पत्नी गणपतसिंह
जाति राजपूत निवासी भंवरानी
तहसील आहोर जिला जालोर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरुद्ध पट्टा संख्या 82 दिनांक 29.05.2014 जो अप्रार्थी सं. 2 कंचन कंवर के नाम ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र रामावात, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिवाना में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 82 दिनांक 29.05.2014 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 3937.5 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान



Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सिवाना का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।
3. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 146 से 157 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नहीं की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जिस विवादित भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह विवादित भूमि निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के पूर्व दिशा में आई हुई 10 फुट के रास्ते की भूमि है जो बालोतरा जाने वाली मुख्य रोड़ से जुड़ता है तथा निगरानीकर्ता के उत्तरी दिशा में अप्रार्थी सं. 2 का खाली भूखण्ड आया हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने आवासीय भूखण्ड में जल सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आवेदन करने पर विभाग द्वारा पाईप लाईन डालने हेतु खुदाई प्रारम्भ की तब अप्रार्थी सं. 2 द्वारा उक्त खुदाई रुकवाते हुए पाईप लाईन डालने से मना कर दिया तथा आलौच्य पट्टा होने का कथन किया। इस पर जलदाय विभाग में रेस्पोंडेंट सं 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर आलौच्य पट्टा के बारे में ज्ञान हुआ तथा यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ने आलौच्य पट्टा रास्ते की 10 फीट भूमि को मिलाते हुए जारी करवाया है जिससे प्रार्थी के आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ते की 10 फीट भूमि खुली पड़ी है तथा आवागमन सुचारु रूप से चालू है जो आलौच्य पट्टे की आड़ में अवैध कब्जा करने का प्रयास



Ansh
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 ने आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 146 से 157 के नियमों की पूर्ण अनदेखी की गई है वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा वादग्रस्त स्थल का मौका देखा गया होता तो मौके पर रास्ते की भूमि का तथ्य ज्ञात हो जाता। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत की अनदेखी एवं अनियमित कार्यवाही के द्वारा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि ग्राम पंचायत सिवाना की आबादी भूमि में अप्रार्थी सं. 2 के पिता के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड पूर्व पश्चिम 40 फीट व उत्तर दक्षिण 100 फीट आया हुआ था। अप्रार्थी सं. 2 के पिता ने उक्त भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 को जरिये बक्शीशनामा दिनांक 20.06.2011 को दिया है। इसके पश्चात अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना में आवेदन 2011 में प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं शुल्क प्राप्त कर दिनांक 26.05.2014 को आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे का पंजियन उप पंजियक कार्यालय सिवाना में दिनांक 13.06.2014 को कराया गया है। अप्रार्थी सं. 2 ने नियमानुसार पट्टा प्राप्त करने के बाद इस पर निर्माण कराया एवं अपनी सुख-सुविधा के लिये 5 फुट जमीन खुली छोड़ दी जिस पर स्वामित्व व आधिपत्य अप्रार्थी सं. 2 का ही रहा है। अप्रार्थी द्वारा छोड़ी गई भूमि आम जनता के उपयोग व उपभोग के लिए नहीं है, इसके बावजूद प्रार्थी ने इस भूमि में से पाईप लाईन निकालने की कोशिश तथा मना करने पर अप्रार्थी सं. 2 के पति के विरुद्ध पुलिस थाना सिवाना में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे में पुलिस ने बाद अनुसंधान विवादित भूमि को अप्रार्थी सं. 2 की माना है तथा मात्र धारा 323, 341 भादसं में चालान प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के दो भूखण्ड आये हुए हैं



Ansh
जिला कलेक्टर
बाडमेर

जिसमें से एक भूखण्ड अप्रार्थी सं. 2 के पश्चिम में तथा दूसरा भूखण्ड पीछे की ओर आया हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी के प्रथम भूखण्ड का रास्ता बालोतरा-सिवाना रोड़ पर आया हुआ है, इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन कि उसके आने-जाने का रास्ता एक मात्र यह विवादित भूमि है पूर्णतया असत्य है। प्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड के बेचान दस्तावेज में पडौस किस प्रकार व किस आधार पर लिखवाये गये हैं, इसकी जानकारी नहीं है तथा केवल प्रार्थी के दस्तावेज में उल्लेख करने से अप्रार्थी सं. 2 के स्वामित्व की भूमि रास्ता के लिये नहीं हो सकती है। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की किस धारा का उल्लघन किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा में वर्णित भूमि के पूर्व में 10 फीट का रास्ता है जिस पर अप्रार्थी द्वारा गलत पट्टा जारी करवाया गया है। इस संबंध में अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि आलौच्य पट्टे के पडौस में 10 फीट का रास्ता नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि आलौच्य भूखण्ड की दक्षिण व उत्तरी भुजा 30 फीट हैं किन्तु आलौच्य पट्टे में 40 फीट अंकित कर दी है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है कि भूखण्ड की भुजा 30 फीट रही हों, बल्कि मूल पट्टा में 40 फीट अंकित की गई है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि आलौच्य पट्टा जारी करने में नियम 146 से 151 की अनदेखी की गई है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से नियमानुसार मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है एवं शुल्क भी जमा कराई जाकर विधिवत कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता है।



हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत पचास वर्ष से अधिक पुराने कब्जे के विनियमितीकरण के लिये जारी किया जाता है। इसके साथ ही नियम 157(1) के अन्तर्गत अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्गगज यथा 2700 वर्गफीट तक ही सीमित है जबकि आलौच्य पट्टा कुल 3937.5 वर्गफीट का दिया गया है, जो नियम विरुद्ध दिया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल का आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अनियमितता बरती गई है, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता के बिन्दु पर यह आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा बैठक दिनांक 05.07.2013 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 82 दिनांक 29.05.2014 को अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Anshdeep
(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

